

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-88/2024 दिनांक 28.03.2024)

दिनांक-28.03.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा दहेज हत्या आदि के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 152/24 धारा 498ए/323/304बी/201/506/120बी0 भादवि० व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रामधन पटेल पुत्र स्व0 विन्धयाचल पटेल निवासी ढोडी मोड़ जो चैती मुसहरी मोड़ थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी। गिरफ्तारी के बाद अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 152/24 धारा 498ए/323/304बी/201/506/120बी0 भादवि० व 3/4 डीपी एक्ट थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

रामधन पटेल पुत्र स्व0 विन्धयाचल पटेल निवासी ढोडी मोड़ जो चैती मुसहरी मोड़ थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री विवेक तिवारी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 श्री आकाश गिरी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
4. का0 सरवन कुमार थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
5. म0का0 सविता सरोज थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा चोरी की एक अदद लेपटाप के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 247/2024 धारा 380/411 भा0द0वि0 से संबंधित चोरी की एक अदद लेपटाप के साथ अभियुक्त मुकेश गौस्वामी पुत्र महेश गोस्वामी साकिन अम्बेडकरनगर वार्ड नं0

10 कस्बा हाटा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 247/2024 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

मुकेश गौस्वामी पुत्र महेश गोस्वामी साकिन अम्बेडकरनगर वार्ड नं0 10 कस्बा हाटा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

चोरी की एक अदद लेपटाप ASUS VIVO BOOK 15 INTEL CELERON 3350 15-6 INC SERIAL NO L8NOGR037947358

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अनुराग शर्मा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
2. का0 राजकुमार थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
3. का0 डब्लू कुमार थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर

थाना चौराखास पुलिस द्वारा गौ-तस्करी करने वाले गैंग के 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को गोरखपुर से बिहार व अन्य जगहो पर गोवंशी पशुओं की तस्करी करने वाले गैंग के 02 अभियुक्तों 1.मुहम्मद असजद पुत्र फरहद निवासी ग्राम दूबे टोला थाना तरकुलवा जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश, 2.जियाउल हक उर्फ हेलमेट पुत्र कादिर निवासी ग्राम शेखर सेमरी थाना बघौचघाट जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश के विरुद्ध थाना चौराखास पुलिस द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोरखपुर व अन्य जगहो से पशुओं (गाय, बैल, साड़ व बछड़ो) की गौ-तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है दिनांक- 25.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा इस गिरोह के कब्जे से 05 राशी गोवंशीय पशु (सांड) व एक अदद पिकप बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 227/2023 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत है तथा दिनांक 30.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा अभियुक्त असजद पुत्र फरहद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 राशि गोवंशीय पशु (गाय) व एक अदद पिकप बरामद किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियुक्त असजद उपरोक्त के

विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 230/2023 धारा 3/5ए/8/5बी गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है। गैंग लीडर असजद पुत्र फरहद उपरोक्त ने अपने अन्य सदस्यों के साथ मिल कर गौ-तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित करते है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से गौ-तस्करी का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित कर लिये जिनके विरुद्ध आज थाना स्थानीय पर 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 30नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन
- 2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-32,व्यक्ति-226
- 3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
- 4-जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-32)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर